

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पाँच वर्षों की अवधि में समग्र संघटकों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का वर्ष 2015-16 की तुलना में परिवर्तनों का समीक्षात्मक विश्लेषण करता है।

यह समीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त लेखे में सम्मिलित आंकड़ों पर आधारित है। राज्य का परिदृश्य *ifff'k"V 1.1* में दिया गया है।

1.1 | dy j kT; ?kjsy mRi kn (l -jk-?k-m)¹

वर्तमान तथा स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की वार्षिक प्रवृत्तियों को *l kj .kh 1.1* में दर्शाया गया है:

l kj .kh 1-1% Hkkj r dk | dy ?kjsy mRi kn , oa j kT; dk | dy j kT; ?kjsy mRi kn

fooj .k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	99,44,013	1,12,33,522	1,24,45,128	1,36,82,035	1,51,83,709
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.82	12.97	10.79	9.94	10.98
राज्य का वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	8,22,393	9,40,356	10,11,790	11,20,836	12,75,141
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.58	14.34	7.60	10.78	13.77
राज्य का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	7,58,205	8,02,070	8,34,432	9,01,257	9,67,517
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.72	5.79	4.03	8.01	7.35

(स्रोत: सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े दिनांक 01.08.2017 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये)

शासकीय लेखे की संरचना *ifff'k"V 1.2* ds Hkkx&v और वित्त लेखे का प्रारूप Hkkx&C में दर्शाया गया है।

1.1.1 j kTdk's'kh; ys&nuka dk | kj k k

l kj .kh 1.2 में राज्य सरकार के वर्ष 2015-16 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रदर्शित है। *ifff'k"V 1.3* वर्ष 2016-17 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति को प्रस्तुत करता है।

¹ सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद दिये गये समयावधि में देश एवं राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से मान्य अन्तिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है तथा देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है।

राजस्व वृद्धि दर 2016-17 का राजस्व वृद्धि दर का विवरण

₹ करोड़ में

विवरण	2015-16		2016-17		वृद्धि दर		
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	वृद्धि दर
कुल राजस्व	2,27,076	2,56,875	2,12,736	1,86,886	49,706	2,36,592	88,255
कर राजस्व	81,106	85,966	72,228	88,111	144	88,255	88,255
करेतर राजस्व	23,135	28,944	82,486	50,703	41,158	91,861	91,861
संघीय करों/शुल्कों का अंश	90,974	1,09,428	47,881	37,430	8,404	45,834	45,834
भारत सरकार से अनुदान	31,861	32,537	10,140	10,642	-	10,642	10,642
कुल राजस्व	-	-	64,423	9,216	60,573	69,789	69,789
राजस्व वृद्धि दर	726	259	9,118	6,741	-	6,741	6,741
कर राजस्व वृद्धि दर	74,514	67,685	17,673	20,303	-	20,303	20,303
करेतर राजस्व वृद्धि दर	201	173	44	349	-	349	349
संघीय करों/शुल्कों का अंश वृद्धि दर	2,65,972	3,06,406	2,64,294	2,96,523	-	2,96,523	2,96,523
भारत सरकार से अनुदान वृद्धि दर	(-) 401	(-) 202*	(-) 200	899	-	899	899
कुल राजस्व वृद्धि दर	5,68,087.07	6,31,196	5,68,087	5,20,917	1,10,279	6,31,196	6,31,196

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16 एवं 2016-17)

*8 नवम्बर 2000 को अवशेषों के विभाजन पर विभागीय अवशेष ₹ 2.04 करोड़ एवं स्थायी अग्रिम ₹ 0.03 करोड़ उत्तराखण्ड को आवंटित किया गया।

वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय को राजस्व वृद्धि दर 1.3 में निम्नवत् दर्शाया गया है:

राजस्व वृद्धि दर 1.3% दर का विवरण

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	वृद्धि दर
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875	-
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.49	15.29	14.99	17.40	13.12	14.46
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,34,516	1,43,477	1,59,517	1,82,590	1,94,905	-
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	2.79	6.66	11.18	14.46	6.74	8.37
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.74	17.89	19.12	20.26	20.14	19.03

2 मुख्य लेखाशीर्ष 8009 से 8782 तक सम्मिलित (वित्त लेखे का विवरण संख्या 21)

l dy jkT; ?kjsy mRi kn ds l ki s{k jktLo 0; ;						
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,40,724	1,58,147	1,71,027	2,12,736	2,36,592	-
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.59	12.38	8.14	24.39	11.21	13.94
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,29,740	1,34,890	1,41,048	1,71,060	1,79,515	-
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.73	3.97	4.56	21.28	4.94	7.90
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.11	16.82	16.90	18.98	18.55	17.67
l dy jkT; ?kjsy mRi kn ds l ki s{k i wthxr 0; ;						
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	23,834	32,863	53,297	64,423	69,789	-
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.48	37.88	62.18	20.88	8.33	27.95
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	21,974	28,030	43,955	51,802	52,953	-
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	1.85	27.56	56.81	17.85	2.22	21.26
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.90	3.49	5.27	5.75	5.47	4.58

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति को गणना में लेने के बाद भी अवधि 2012-13 से 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में वृद्धि हुई।

1.1.2 jkt dks'kh; fLFkfr dh l eh{k

उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेन्स योजना (उदय) के क्रियान्वयन के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के ऋण को वहन किये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार के सम्बन्ध में iLrj 1.6.4 में विस्तार से उल्लेख किया गया है। राज्य के बजट अभिलेख की राजकोषीय नीति तथा उदय के दिशा निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उदय के अन्तर्गत राज्य द्वारा वहन किये गये ऋण को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। उदय को सम्मिलित न करने पर राज्य का वास्तविक राजकोषीय घाटा तथा बकाया दायित्व क्रमशः ₹ 41,187 करोड़ तथा ₹ 4,08,422 करोड़ था। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित विभिन्न बिन्दुओं एवं iLrj 3.17 तथा l kj.kh 3.11 में विस्तार से वर्णित प्रकरणों को संज्ञान में लेने पर राजस्व आधिक्य में ₹ 677.83 करोड़ की अतिशयता होने के कारण यह ₹ 19,605 करोड़ एवं राजकोषीय घाटे में ₹ 608.75 करोड़ की न्यूनता होने के कारण यह ₹ 41,796 करोड़ होगा, जैसा इस प्रतिवेदन के अन्त में l kj.kh 3.11 में वर्णित है। अग्रेतर, निक्षेप निधि के लेन-देनों का प्रभाव, जिसका विवरण iLrj 1.5.2.1 में दिया गया है एवं iLrj 3.17 तथा l kj.kh 3.11 में दर्शाया गया है, के कारण राज्य के बकाया दायित्व में ₹ 6,627 करोड़ की वृद्धि होकर यह ₹ 4,15,049 करोड़ (उदय को छोड़कर) होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत, अवधि 2016-17 में बजट में दिये गये विभिन्न मुख्य घटक, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन

(एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम में दिये गये लक्ष्य, के सापेक्ष राज्य की वास्तविक (उदय को छोड़कर) तथा लेखापरीक्षा द्वारा आगणित उपलब्धि। तालिका 1.4 में प्रदर्शित है:

तालिका 1-4: सूचना 2016-17 पर जयपुर; सूचना पर जारी की गई

वर्ष; जयपुर/आधिक्य (-)/आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	शून्य	₹ 28,201 करोड़ का आधिक्य	₹ 28,201 करोड़ का आधिक्य	20,283 करोड़ का आधिक्य	19,605 करोड़ का आधिक्य
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.25	2.97	2.97	3.23	3.28
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋण अनुपात (प्रतिशत में)	32.90	30.30	30.30	32.03	32.55

(स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं उत्तर प्रदेश सरकार की राजपत्रित अधिसूचना, दिनांक 22 मार्च 2016)

जैसा उपर्युक्त सारणी में दर्शित है कि राज्य द्वारा बजट अनुमान तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा लक्षित राजस्व आधिक्य तथा स.रा.घ.उ. के सापेक्ष बकाया ऋण के अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया। अग्रेतर, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात भी बजट अनुमान 2016-17, चौदहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के लक्ष्य से अधिक रहा।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा, राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों से राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के (ऋण तथा अग्रिमों के सहित) आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अवशेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे की वित्तीय प्रवृत्ति को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1-5: राजकोषीय घाटे, राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों से राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के (ऋण तथा अग्रिमों के सहित) आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अवशेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व आधिक्य	5,180	10,067	22,394	14,340	20,283
निवल पूंजीगत व्यय	23,834	32,863	53,297	64,423	69,789
निवल ऋण एवं अग्रिम	584	884	1,610	8,392	6,482

jkt dks'kh; ?kkVs dh foRrh; çofUk*						
1	बाजार ऋण	6,263	5,054	13,513	25,301	36,904
2	भारत सरकार से ऋण	(-)1,099	(-)1,075	(-) 875	(-) 803	(-)409
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	2,429	2,768	6,325	4,339	(-)4,532
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 681	(-)12	7,146	28,005	15,441
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3,342	2,363	1,686	1,534	1,619
6	निक्षेप एवं अग्रिम	1,753	5,037	1,050	(-) 1,543	(-)301
7	उचन्त एव विविध	3,540	(-)9,637	535	(-) 677	592
8	प्रेषण	986	(-)98	1,608	(-) 197	748
9	अन्य ³	2,705	19,280	1,525	(-) 2,516	5,926
		19,238	23,680	32,513	58,475	55,988

*ये सभी आंकड़े वर्ष के अन्तर्गत वितरण/व्यय का निवल हैं।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

* इस सारणी में राजकोषीय घाटा उदय को सम्मिलित करते हुये दर्शाया गया है जिससे वित्त लेखे में दिये गये वित्तीय प्रवृत्ति से मिलाया जा सके।

1.1.2.2 ?kkVs@v kf/kD; dh xq koRrk

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक घाटे⁴ का प्राथमिक राजस्व घाटे⁵ एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों के सहित) में विघटन राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का लगातार उच्च अनुपात दर्शाता है कि राज्य की परिसम्पत्तियों का आधार कम हो रहा है एवं कुछ सीमा तक ऋण (राजकोषीय दायित्व) राज्य की परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। प्राथमिक घाटे का विभाजन (l kj .kh 1.6) उस सीमा की ओर इंगित करता है जिस सीमा तक पूँजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण घाटा हुआ, जो राज्य की उत्पादक क्षमता में सुधार हेतु वांछित है।

l kj .kh 1.6: i kFkfed ?kkVk@v kf/kD;

₹ dj km+e

o"kl	xj & __.k i kflr; k	i kFkfed jktLo 0; ;	i rthxr 0; ;	__.k , oa vfxe	i kFkfed 0; ;	i kFkfed jktLo ?kkVk %&½@ v kf/kD; %\$½	i kFkfed ?kkVk %&½@ v kf/kD; %\$½
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2012-13	1,46,323	1,23,803	23,834	1,003	1,48,640	(+)22,520	(-)2,317
2013-14	1,68,803	1,40,735	32,863	1,473	1,75,071	(+)28,068	(-)6,268
2014-15	1,93,684	1,52,162	53,297	1,873	2,07,332	(+)41,522	(-)13,648
2015-16	2,27,802	1,91,288	64,423	9,118	2,64,829	(+)35,514	(-)37,027
2016-17	2,57,134	2,09,656	69,789	6,741	2,86,186	(+)47,478	(-)29,052

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

तथ्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्राथमिक घाटा ₹ 2,317 करोड़ (2012-13) से बढ़कर 2016-17 में ₹ 29,052 करोड़ हो गया, जो यह दर्शाता है कि राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त नहीं थीं।

³ आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लेन-देन, आरक्षित निधि, रोकड़ अवशेष, निवेश एवं बॉण्ड।


⁴ प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है।

⁵ प्राथमिक राजस्व घाटा, राज्य के ब्याज-रहित राजस्व व्यय एवं इसके गैर-ऋण प्राप्तियों का अन्तर है एवं यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक राजस्व लेखे के अन्तर्गत किये गये प्राथमिक व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त हैं।

1.1.3 ctV vupek; , o"klrfod vkrM;:

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित घटनाओं अथवा बजट तैयार करने में व्यय एवं प्राप्तियों का कम/अधिक आकलन के कारण लक्षित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2016-17 के लिए वास्तविक के सापेक्ष चयनित राजकोषीय मापदण्डों के बजट अनुमानों को pkVl 1.1 एवं ifjfk"V 1.4 में दर्शाया गया है।



(स्रोत: बजट एवं वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

- कर राजस्व में कमी मुख्यतः बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (₹ 6,057 करोड़) पुनः राज्य आबकारी (₹ 4,977 करोड़) एवं स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 4,756 करोड़) में रही।
- करेतर राजस्व (₹ 4,703 करोड़) में वृद्धि मुख्यतः अन्य करेतर राजस्व (₹ 4,150 करोड़) तथा रोकड़ अवशेष के निवेश पर ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 415 करोड़) मद में रही।
- राजस्व व्यय में कमी मुख्यतः सामाजिक सेवाएँ (₹ 9,929 करोड़), सामान्य सेवाएँ (₹ 4,601 करोड़) तथा आर्थिक सेवाएँ (₹ 2,187 करोड़) में रही।
- पूँजीगत व्यय में कमी (₹ 2,089 करोड़) सामाजिक सेवाएँ (₹ 1,859 करोड़) तथा सामान्य सेवाएँ (₹ 1,097 करोड़) के कारण रही, जिसे आर्थिक सेवाओं में ₹ 867 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रति संतुलित किया गया।

lrfkfr: वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में लगातार बढ़ते अन्तर को कम किया जा सके।


1.2 jkT; ds foRrh; l d k/ku

1.2.1 okf"kd foRr ys[k ds vuq kj jkT; ds l d k/ku


राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूँजीगत अनुभाग के अन्तर्गत विविध प्राप्तियां जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ एवं ऋण अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्तियाँ/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखे के अवशेष सम्मिलित है।

pkVl 1.2] 1.3 तथा 1.4 क्रमशः कुल प्राप्तिओं के संघटन, 2012-17 की अवधि में प्राप्तिओं के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति तथा वर्ष 2016-17 में संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।


pkVl 1.2: o"kl 2016-17 ds nkj ku dgy i kflr; k ds l kVU



(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2016-17)




(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)




(स्रोत: वित्त लेखे 2016-17)

1.2.2 एकरा इफेक्ट; एकरा

वित्त लेखे के एकरा 14 में राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। वर्ष 2012-17 की अवधि में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति एवं संघटन को एकरा 1.5 में प्रस्तुत किया गया है एवं क्रमशः एकरा 1.5 एवं 1.6 में भी प्रदर्शित है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2016-17 में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 29,799 करोड़: 13 प्रतिशत) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा राज्य को हस्तान्तरित निवल आय में वृद्धि (20 प्रतिशत), वैट एवं बिक्री कर के अन्तर्गत करों के संग्रह में वृद्धि (11 प्रतिशत), राज्य मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत अधिक शुल्क की वसूली (43 प्रतिशत), सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वेतन भुगतान की वापसी (32 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में अंश पूंजी के रूप में प्राप्तियों (109 प्रतिशत), के कारण थी, जिसे पंचायती राज्य अधिनियम के अन्तर्गत कम प्राप्तियों (61 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत कम प्राप्तियों (24 प्रतिशत), राज्य कर्मचारी बीमा योजना (60 प्रतिशत), मरीजों द्वारा कम अंशदान (37 प्रतिशत), लकड़ी तथा अन्य वन उत्पाद की बिक्री एवं वानिकी तथा वन्य जीवन से कम प्राप्तियाँ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से परीक्षा शुल्क के रूप में कम प्राप्तियों (42 प्रतिशत), के द्वारा प्रति संतुलित किया गया।

1.2.2.1 jkT; ds Lo; a ds Lkã k/ku

संसाधनों के संघटन में केन्द्रीय करों में राज्यांश तथा सहायता अनुदान को सम्मिलित नहीं करते हुए, जो वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होते हैं, राज्य के प्रदर्शन को कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अवधि 2012-17 में कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व के संग्रहण के विवरण को *fff'k"V 1.6* में प्रदर्शित किया गया है। इसमें वर्ष 2012-13 के ₹ 71,068 करोड़ से वर्ष 2016-17 में ₹ 1,14,910 करोड़ अर्थात् ₹ 47,842 करोड़ (62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

dj jktLo

वर्ष 2012-17 के दौरान कर राजस्व का विवरण *l kj .kh 1.7* में दिया गया है:

l kj .kh 1.7: dj jktLo ds ?kVd

₹ dj kM+e#

dj jktLo	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	o"kl 2016-17 es 2015-16 ds l kišk fHKUurk %i fr'kr½
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	34,870 (60)	39,645 (60)	42,934 (58)	47,692 (59)	51,883 (60)	8.79
राज्य आबकारी	9,782 (17)	11,644 (18)	13,483 (18)	14,084 (17)	14,274 (17)	1.35
वाहनों पर कर	2,993 (5)	3,441 (5)	3,797 (5)	4,410 (5)	5,148 (6)	16.73
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	8,742 (15)	9,521 (14)	11,803 (16)	12,404 (15)	11,564 (13)	(-)6.77
भू-राजस्व	805 (1)	772 (1)	527 (1)	505 (1)	760 (1)	50.50
सामान एवं यात्रियों पर कर	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	(-)100
अन्य कर	905 (2)	1,558 (2)	1,627 (2)	2,010 (3)	2,337 (3)	16.27
; kx	58,098	66,582	74,172	81,106	85,966	5.99

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

(कोष्ठक के आंकड़ें करों के संग्रह की कुल कर से प्रतिशतता है)

ज.क. 1.8

वर्ष 2012-17 के दौरान करों की प्राप्ति का विवरण ज.क. 1.8 में दिया गया है:

ज.क. 1.8: ज.क. 1.8

₹ करोड़ में

वर्ग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2016-17 का 2015-16 के प्रतिशत
ब्याज प्राप्ति	1,186 (9)	1,619 (10)	2,303 (12)	633 (3)	1,165 (4)	84.04
लाभांश	63 (1)	5 (0)	8 (0)	43 (0)	86 (0)	100
अन्य करों की प्राप्ति	11,721 (90)	14,826 (90)	17,624 (88)	22,459 (97)	27,693 (96)	23.30
कुल	12,970	16,450	19,935	23,135	28,944	25.11

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेख)

(कोष्ठक के आंकड़ों को संग्रह की कुल कर से प्रतिशतता है)

1.2.2.2 ज.क. 1.9

वर्ष 2016-17 में मुख्य राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष संग्रह तथा संग्रह पर लागत का विवरण ज.क. 1.9 में दिया गया है:

ज.क. 1.9: ज.क. 1.9

वर्ग	2016-17	2016-17 का 2015-16 के प्रतिशत
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	51,883	613
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	11,564	261
राज्य आबकारी	14,273	163
वाहनों पर कर	5,148	133
कुल	82,868	1,170

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

यद्यपि, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर तथा स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की संग्रह लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत के सापेक्ष कम थी तथापि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की संग्रह लागत अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत से अधिक थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की संग्रह लागत अखिल भारतीय स्तर पर औसत लागत का लगभग दोगुना है एवं अपने पड़ोसी राज्यों⁶ से भी अधिक है।

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की प्रवृत्ति का विश्लेषण, उ.प्र. के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात, अखिल भारतीय कर (राज्य बिक्री कर के अन्तर्गत प्राप्ति) के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से तुलनात्मक रूप से उच्च अनुपात दर्शाता है जैसा कि ज.क. 1.10 में निम्नवत् दिया गया है:

ज.क. 1.10: ज.क. 1.10

वर्ग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (₹ करोड़ में)	34,870	39,645	42,935	47,692	51,883
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/उ.प्र. का स. रा.घ.उ. का अनुपात	4.24	4.22	4.24	4.25	4.07
अखिल भारतीय कर (राज्य बिक्री कर के अन्तर्गत प्राप्ति) का स.घ.उ. से अनुपात	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02

⁶ बिहार-0.72; झारखण्ड- 0.41; मध्य प्रदेश- 0.57

अग्रेतर, विगत पाँच वर्षों की अवधि (2012 – 2017) में राज्य के बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर में वास्तविक संग्रह की प्रवृत्ति की समीक्षा भी यह दर्शाती है कि वास्तविक संग्रह हमेशा बजट अनुमानों से कम रहा है, जैसा कि l kj . kh 1.11 में निम्नवत् दर्शाया गया है:

l kj . kh 1.11: ctV vuęku , oa okLrfod 0; ; dh iofRr; k;

₹ djkm+e#

fcØh] 0; ki kj bR; kfn ij dj	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजट अनुमान	32,000	43,936	47,500	52,673	57,940
वास्तविक व्यय	34,870	39,645	42,935	47,692	51,883

विगत तीन वर्षों में बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर के संग्रह में कमी अनुमानों तथा कर संग्रह के प्रयासों में असमानता के स्तर को दर्शाता है।

l LrfRr: वित्त विभाग तथा बिक्री कर विभाग को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर की संग्रह लागत अखिल भारतीय स्तर से लगभग दोगुनी क्यों है तथा संग्रह लागत को कम करने के उपाय करने चाहिए।

1.2.2.3 Hkkjr l jdkj l s iklr l gk; rk vuęku

राज्य सरकार वित्त आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं संघीय करों एवं शुल्कों में अंश प्राप्त करती है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण l kj . kh 1.12 में निम्नवत् दिया गया है:

l kj . kh 1.12: Hkkjr l jdkj l s iklr l gk; rk vuęku

₹ djkm+e#

fooj .k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजनेत्तर अनुदान	4,341	7,934	6,809	8,274	9,335
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	5,519	6,595	6,576	1,933	232
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	12	226	17	16	56
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	7,466	7,650	19,289	21,638	22,914
diy vuęku	17,338	22,405	32,691	31,861	32,537
विगत वर्ष से वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	(-)2.38	29.22	45.91	(-) 2.54	2.12
राजस्व प्राप्तियाँ	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875
कुल अनुदान में राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	11.88	13.32	16.90	14.03	12.67

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.2.4 jktLo cdk; k

राजस्व बकाया का विस्तृत विवरण l kj . kh 1.13 में निम्नवत् दिया गया है:

l kj . kh 1.13: jktLo cdk; k

₹ djkm+e#

Ø- l a	jktLo dk 'kh"z	foHkx dk uke	31 eapl 2017 dks diy cdk; k /kujkf" k	i kq o"z l s vf/kd vof/k l s cdk; k /kujkf" k
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	बिक्री कर विभाग	27,214.14	11,803.03
2.	मनोरंजन कर	संस्थागत वित्त विभाग	336.00	8.02
			27,550.14	11,811.05

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

1.2.3.1: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

1.2.3.1: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

वर्ष 2012-17 की अवधि में पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ 1.2.3.1 में दी गई हैं:

1.2.3.1: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

₹ करोड़

वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।	16,239	15,489	35,782	75,240	67,944
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	419	589	262	726	259
लोक ऋण प्राप्तियाँ	15,820	14,900	35,520	74,514	67,685
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत गैर ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर	215	41	(-56)	177	(-64)
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-18)	(-5)	131	110	(-10)

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.1.1: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक की अवधि में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों का विवरण 1.2.3.1.1 में दर्शाया गया है:

1.2.3.1.1: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

₹ करोड़

वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बाजार ऋण	9,500	8,000	17,500	30,000	41,050
वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण	1,421	1,494	7,176	31,669	16,909

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य द्वारा निवेशों पर प्राप्त ब्याज से अधिक दर पर उधार लेने के प्रभाव का वर्णन 1.2.3.1.1.1 में किया गया है।

1.2.3.1.1.1: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

वर्ष 2012-17 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण 1.2.3.1.1.1 में दिया गया है:

1.2.3.1.1.1: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

₹ करोड़

वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	296	390	486	594	1,031

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.2.3.1.1.1.1: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधि आदि जो समेकित निधि के अंग नहीं हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं ये विधायिका के मत पर आधारित नहीं होते हैं।

इनके सम्बन्ध में सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी का काम करती है। वित्त लेखे के 2017 में लोक लेखे के प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति दी गयी है एवं लोक लेखे (निवल) का विवरण 1.17 में दिया गया है:

1.17: लोक लेखे के वित्त लेखे

वित्त लेखे	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल लोक लेखे	14,006	5,619	2,185	1,678	9,883
क. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	3,341	2,363	1,686	1,534	1,619
ख. आरक्षित निधि	4,386	7,954	(-) 2,694	2,561	7,225
ग. निक्षेप एवं अग्रिम	1,753	5,037	1,050	(-) 1,543	(-) 301
घ. उचन्त एवं विविध	3,540	(-) 9,637	535	(-) 677	592
ड. प्रेषण	986	(-) 98	1,608	(-) 197	748


(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)


आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेन-देनों के प्रभाव का वर्णन 1.5.2 में किया गया है।

1.3 लोक लेखे के वित्त लेखे

1.3.1 लोक लेखे के वित्त लेखे के वित्त लेखे

1.7 एवं 1.8 वर्ष 2012-17 की अवधि में क्रमशः कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं संघटन को प्रस्तुत करता है।





(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2015-16 के सापेक्ष 2016-17 में राजस्व व्यय में कुल वृद्धि ₹ 23,856 करोड़ (11 प्रतिशत) थी। विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि मुख्यतः चुनाव⁷ (175 प्रतिशत), अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम⁸ (80 प्रतिशत), ऋण में कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग⁹ (55 प्रतिशत), के अन्तर्गत थी। वर्ष 2016-17 में कमी मुख्यतः उद्योग¹⁰ (91 प्रतिशत), दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत (46 प्रतिशत) तथा जलापूर्ति एवं सीवरेज¹¹ (40 प्रतिशत) के अन्तर्गत रही।

इसी प्रकार, विगत वर्ष के सापेक्ष पूँजीगत व्यय में निवल वृद्धि ₹ 5,366 करोड़ (आठ प्रतिशत) थी। वृद्धि मुख्यतः खाद्य भण्डारण तथा गोदाम¹² (518 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति¹³ (79 प्रतिशत), सड़क एवं पुल¹⁴ (46 प्रतिशत) के अन्तर्गत रही। कमी मुख्यतः सहकारिता¹⁵ (99.98 प्रतिशत) एवं अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम¹⁶ (53 प्रतिशत), के अन्तर्गत रही।

1.3.2 jktLo 0; ;

vk; kstuxr , oa vk; kstuRj jktLo 0; ;

आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का विवरण l kj.kh 1.18 में दिया गया है:

⁷ वर्ष 2016-17 में राज्य विधानसभा का चुनाव कराने पर व्यय (₹ 253 करोड़)।
⁸ पंचायती राज संस्थाओं (₹ 691 करोड़) तथा ग्राम पंचायतों (₹ 5,289 करोड़) को सहायता।
⁹ ऋण में कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग (₹ 3,806 करोड़)।
¹⁰ चीनी उद्योग (₹ 2,302 करोड़)।
¹¹ शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति कार्य (₹ 64 करोड़), सीवरेज सेवाएं (₹ 112 करोड़), स्थानीय निकाय तथा नगर पालिकाओं को सहायता (₹ 145 करोड़)।
¹² खाद्यान्न कार्यक्रम (₹ 1,829 करोड़), डबल फोर्टिफाइड साल्ट (₹ 79 करोड़), चीनी खाण्डसारी योजना (₹ 498 करोड़)।
¹³ नवीन सैनिक विद्यालयों की स्थापना (₹ 77 करोड़), राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रचार का क्रियान्वयन (₹ 112 करोड़), इलाहाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना (₹ 338 करोड़), सैफर्ड स्पोर्ट्स कालेज इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना (₹ 220 करोड़)।
¹⁴ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे (₹ 261 करोड़), राजकीय राजमार्ग का निर्माण (₹ 272 करोड़) समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे (₹ 3,382 करोड़), प्र.म.ग्रा.स.यो. तथा सामान्य सेतु निर्माण कार्य (₹ 866 करोड़), कुम्भ मेला प्रबन्धन/व्यवस्था हेतु जनपद इलाहाबाद में सड़कों की मरम्मत तथा चौड़ीकरण (₹ 3,167 करोड़)।
¹⁵ बिना लाइसेंस/अनुज्ञा वाले जिला सहकारी बैंक में अंश पूँजी (₹ 1,276 करोड़)।
¹⁶ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (₹ 2,508 करोड़)।

I kj . kh 1.18: vk; kstuxr , oa vk; ksturj jktLo 0; ;

₹ djkm+e

fooj . k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय	1,65,561	1,92,483	2,26,197	2,86,277	3,13,122
राजस्व व्यय	1,40,724	1,58,147	1,71,027	2,12,736	2,36,592
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	1,14,846	1,26,490	1,37,765	1,69,485	1,86,886
आयोजनागत राजस्व व्यय	25,878	31,657	33,262	43,251	49,706
आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13	10	9	23	10
आयोजनागत राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14	22	5	30	15

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.3 iwthxr 0; ;

vk; kstuxr , oa vk; ksturj iwthxr 0; ;

आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय का विवरण I kj . kh 1.19 में दिया गया है:

I kj . kh 1.19: vk; kstuxr , oa vk; ksturj iwthxr 0; ;

₹ djkm+e

fooj . k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल व्यय	1,65,561	1,92,483	2,26,197	2,86,277	3,13,122
पूंजीगत व्यय	23,834	32,863	53,297	64,423	69,789
आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय	1,226	2,255	8,881	15,378	9,216
आयोजनागत पूंजीगत व्यय	22,608	30,608	44,416	49,045	60,573
आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	46.13	83.93	293.84	73.16	(-)40.07
आयोजनागत पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.03	35.39	45.11	10.42	23.50

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.4 opuc) 0; ;

राजस्व मद के अन्तर्गत सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 26,936 करोड़), वेतन एवं भत्तों पर व्यय (₹ 85,416 करोड़), पेंशन (₹ 28,227 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 8,045 करोड़) सम्मिलित है। वचनबद्ध व्यय (₹ 1,48,624 करोड़) राजस्व व्यय का एक मुख्य भाग है तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 1,86,886 करोड़), के 80 प्रतिशत का उपभोग करता है।

I kj . kh 1.20 अवधि 2012-17 में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाती है:

I kj . kh 1.20: opuc) 0; ; ka ds ?kVdka dh i xPRr

₹ djkm+e

opuc) 0; ; ka ds ?kVd	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
					ctV vupek	okLrfod 0; ;
oru* , oa etnijh] ftl eals	52,755 (36)	54,892 (33)	62,147 (32)	74,439 (33)	89,799	85,416 (33)
आयोजनेत्तर शीर्ष	46,007	47,654	51,195	58,537		66,424
आयोजनागत शीर्ष**	6,748	7,238	10,952	15,902		18,992

C; kt Hkqrku	16,921 (12)	17,412 (10)	18,865 (10)	21,448 (9)	27,334	26,936 (11)
i dku ij 0; ;	17,921 (12)	19,521 (12)	22,305 (11)	24,150 (11)	28,503	28,227 (11)
l fcl Mh	5,964 (4)	6,608 (4)	7,661 (4)	7,691 (3)	8,783	8,045 (3)
opuc) 0; ; dk ; kx	93,561 (64)	98,433 (59)	1,10,978 (57)	1,27,728 (56)	1,54,419	1,48,624 (58)

इस मद में राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत कोष्ठक में अंकित किये गये हैं।

*सहायता अनुदान से भुगतानित वेतन भी सम्मिलित है।

**आयोजनागत शीर्ष के अन्तर्गत वह वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है जिसका भुगतान केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं से किया गया था।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित आंकड़े)

1.3.4.1 i dku Hkqrku

1 अप्रैल 2005 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारी नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं, जो निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का (10 प्रतिशत) योगदान देता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान देते हुए समस्त धनराशि नेशनल सिव्क्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तान्तरित किया जाता है।

नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत अवधि 2005 से 2008 में पेंशन अंशदान का विवरण राज्य लेखे में उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण लेखापरीक्षा में यह आगणित करना सम्भव नहीं था कि योजना के प्रारम्भ से कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाने वाली पेंशन अंशदान की धनराशि की वास्तव में कटौती की गयी थी, राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण समतुल्य अंशदान दिया गया था तथा एन.एस.डी.एल. को हस्तान्तरित किया गया था। कर्मचारियों से उचित अंशदान तथा राज्य सरकार से समतुल्य अंशदान सुनिश्चित करने में विफल रहने तथा अग्रेतर एन.एस.डी.एल. के साथ इस धनराशि के निवेश में विफल रहने से कर्मचारी नवीन पेंशन योजना के लाभों से वंचित होते हैं।

अवधि 2008-09 से 2016-17 में कर्मचारी अंशदान ₹ 2,830 करोड़ के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा वास्तव में मात्र ₹ 2,247 करोड़ का समतुल्य अंशदान किया गया, परिणामतः अंशदान ₹ 583 करोड़ कम रहा। इस कम अंशदान के परिणामस्वरूप सम्बन्धित वर्षों में राजस्व आधिक्य में अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनता रही।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सम्पूर्ण अंशदान ₹ 5,660 करोड़ (2008-09 से 2016-17 की अवधि में कर्मचारी अंशदान तथा राज्य सरकार का समतुल्य अंशदान) के सापेक्ष मात्र ₹ 5,001.71 करोड़ एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया गया तथा लोक लेखे के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-117 - सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना में ₹ 545.68 करोड़ अवशेष था।

उपरोक्त उल्लिखित कम अंशदान तथा कम हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को उनके अवशेष को एन.एस.डी.एल. द्वारा निवेश किये जाने के अधिकार से वंचित किया गया।

अग्रेतर, राज्य लेखे से यह संज्ञान में आया कि कर्मचारी अंशदान (1 अप्रैल 2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से कटौती) जो 2008-09 के ₹ 5.03 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 636.51 करोड़ हो गया था, वर्ष 2016-17 में उल्लेखनीय रूप से घटकर ₹ 199.24 करोड़ हो गया, जो एक अत्यधिक गम्भीर प्रकरण है। यह कमी नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी अंशदान हेतु लोक लेखे

में नियत मुख्य शीर्ष 8342 के अतिरिक्त किसी अन्य शीर्ष में कर्मचारी अंशदान के अनियमित हस्तान्तरण के कारण हो सकती है तथा इसे शीघ्रता से ठीक किया जाना आवश्यक है।

योजना के अन्तर्गत देय ब्याज सहित, अहस्तान्तरित धनराशि, बकाया दायित्व को दर्शाती है।

। d r f r: राज्य सरकार को 1 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से नवीन पेंशन योजना में आच्छादित करना सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी अंशदान की पूर्ण कटौती के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान करते हुए समयबद्ध प्रक्रिया में समस्त धनराशि एन.एस.डी.एल. को हस्तान्तरित कर दी जाये।

1.3.4.2 | fcl Mh

वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा भुगतान की गयी सब्सिडी का विभागवार/शीर्षवार विवरण वित्त लेखे के *i f f ' k " V & II* में दिया गया है। वर्ष के दौरान ₹ 8,045 करोड़ का भुगतान किया गया था जो राजस्व प्राप्तियों का तीन प्रतिशत था। कुल भुगतानित सब्सिडी में, ₹ 6,035 करोड़ (75 प्रतिशत) आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत, ₹ 1,186 करोड़ (15 प्रतिशत) आयोजनागत मद के अन्तर्गत तथा ₹ 824 करोड़ (10 प्रतिशत) राज्य बजट के माध्यम से केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु वितरित किये गये थे। मुख्य गतिविधियाँ, जिन्हें सब्सिडी दी गयी, के अन्तर्गत ऊर्जा गतिविधियाँ: ₹ 5,673 करोड़ (71 प्रतिशत); कृषि तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियाँ: ₹ 1,940 करोड़ (24 प्रतिशत) एवं समाज कल्याण: ₹ 234 करोड़ (तीन प्रतिशत) सम्मिलित थीं।

वर्ष 2016-17 की अवधि में अप्रत्यक्ष सब्सिडी में से कुछ का विवरण सारणी 1.21 में दिया गया है:

l k j . kh 1.21: o " kl 2016-17 dh d q N vi R; {k l fcl Mh dk fooj . k

₹ d j k M + e h

<i>Ø0 । 0</i>	<i>; kst uk; @ l fcl Mh</i>	<i>foHkx ck uke</i>	<i>/kuj kf' k</i>
1	सामान्य श्रेणी के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	36.33
2	सामान्य श्रेणी के कक्षा 6 से 8 तक के लड़कों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	32.02
3	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनीफार्म	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	19.34
4	कन्या विद्याधन योजना	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	236.08
5	12वीं पास लड़के/लड़कियों को मुफ्त लैपटाप	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	75.65
			<i>; k s x</i> 399.42

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2016-17)

1.3.5 0; ; k dh xq koRrk

व्यय की गुणवत्ता के अन्तर्गत मुख्यतः तीन पक्ष निहित होते हैं, नामतः व्यय की पर्याप्तता (उदाहरणार्थ: सार्वजनिक सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); व्यय के उपयोग की दक्षता एवं प्रभावकारिता (सेवाओं के परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का आकलन)।

1.3.5.1 ykd 0; ; dh i ; k j r r k

वर्ष 2016-17 की अवधि में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में

विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय का विश्लेषण l kj .kh 1.22 में प्रस्तुत किया गया है:

l kj .kh 1.22: o"kl 2012-13 vkj 2016-17 ea jkT; dh jkt dks'kh; i kFkfedrk

Wiffr'kr e

jkt dks'kh; i kFkfedrk %l dy jkT; ?kjsym mRi kn l s ifr'krk%	, -b@ th, l - Mh-i h-	Mh-b@# , -b@	, l -, l -b@ @, -b@	b@, l -b@ @, -b@	Lkh-b@ , -b@	, tid's ku@ , -b@	g'sFk@ , -b@
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2012-13	14.80	70.00	38.20	29.80	13.70	17.70	4.60
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2012-13	20.13	59.13	36.93	22.20	14.39	18.17	5.22
सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात) 2016-17	16.70	70.90	32.20	35.10	19.70	15.20	4.80
उत्तर प्रदेश का औसत (अनुपात) 2016-17	24.56	66.52	35.24	31.28	22.29	17.32	5.04

ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, ई.एस.ई.: आर्थिक क्षेत्र व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय।

* आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,

#विकास व्यय में राजस्व विकास व्यय, पूंजीगत विकास व्यय, और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित है।

जैसा सारणी से स्पष्ट है कि विकास एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

1.3.6 0; ; ea n{krk

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण l kj .kh 1.23 में निम्नवत् दिया गया है:

l kj .kh 1.23: p; fur l kekftd , oa vkfFkd l okvka ij fd; s x; s 0; ; dh n{krk

l kekftd@vkfFkd vol j puk	2015-16			2016-17		
	i wthxr 0; ; dk dy 0; ; ea vuj kr	jktLo 0; ; (₹ dj kM+ ea)		i wthxr 0; ; dk dy 0; ; ea vuj kr	jktLo 0; ; (₹ dj kM+ ea)	
		oru , oa etnj h	ifj pkyu , oa vuj {k. k		oru , oa etnj h	ifj pkyu , oa vuj {k. k
; ksx %l kekftd l ok; %	11.82	47,866	347	15.54	55,711	269
; ksx %vkfFkd l ok; %	42.72	8,921	3,688	47.90	9,918	2,685
; ksx %l kekftd l ok; % \$ vkfFkd l ok; %	28.16	56,787	4,035	30.76	65,629	2,953
l kekftd l okvka ds eq; ; ?kVd						
सामान्य शिक्षा	2.47	39,986	24	3.72	46,892	28
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16.77	6,238	109	18.51	7,002	144
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	45.66	139	187	64.44	153	68
vkfFkd l okvka ds eq; ; ?kVd						
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	28.04	2,310	46	37.94	2,754	29
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	48.74	2,514	1,223	48.76	2,570	517
शक्ति एवं ऊर्जा	38.35	31	01	39.15	27	00
परिवहन	81.35	99	2,389	82.29	107	2136

(स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित वी.एल.सी. आंकड़े वर्ष 2015-16 एवं 2016-17)

1.4 'kkI dh; 0; ; , oafuoŝ k

1.4.1 fl pkbZ fuekZ k dk; kã ds foRrh; i fj .kke

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक उपादेयता के आकलन हेतु किया गया था। वर्ष 2012-17 की अवधि में राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति का विवरण l kj .kh 1.24 में प्रदर्शित है:

l kj .kh 1.24: fl pkbZ i fj ; kstukvka dh ykxr ol iyh nj

o"kZ	jktLo 0; ;	jktLo i kflr; k;	nj goŝ %2010-15%@ pkn goŝ %2015-20% foRr vk; ksx }kjk ykxr ol iyh dk eM; kedu	jktLo 0; ; dh nyuk eŝ jktLo i kflr; kã dh i fr'krnk	ykxr ol iyh eŝ vUrj
	₹ dj kM+ eŝ		i fr'kr eŝ		
2012-13	4,323	258	45	6	39
2013-14	4,472	550	60	12	48
2014-15	5,009	397	75	8	67
2015-16	4,891	651	35	13	22
2016-17	5,230	782	35	15	20

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा तेरहवें वित्त आयोग एवं चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट)

लागत वसूली में अन्तर, जिसमें पिछले दो वर्षों की अवधि में सुधार हुआ है, वर्ष 2016-17 में पड़ोसी राज्य, बिहार (31) से बेहतर है। परन्तु इसमें अन्य पड़ोसी राज्यों (झारखण्ड: 8.47, मध्य प्रदेश (-)49 एवं छत्तीसगढ़ (-)87) की तुलना में और सुधार किया जाना है।

l drfr: राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर लागत वसूली में सुधार हेतु उपाय प्रारम्भ करना चाहिये।

1.4.2 vi w kZ i fj ; kstuk, j

अपूर्ण कार्यों पर धनराशियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को दुष्प्रभावित करता है। अपूर्ण कार्यों का विवरण, जैसा कि वित्त लेखे में दिया गया है, का सार l kj .kh 1.25 में निम्नवत् दिया गया है:

l kj .kh 1.25: 31 ekpZ 2017 dks foHkxokj vi w kZ i fj ; kstukvka dh flFkr

foHkx	vi w kZ i fj ; kstukvka dh l a[; k*	i kj fEHkd ctVh; ykxr	i fj ; kstukvka dh i qjhf{kr ykxr
लोक निर्माण (सड़कें एवं सेतु)	571	8,017	676 (15 निर्माण कार्य)
सिंचाई	40	3,773	16,334 (समस्त 40 निर्माण कार्य)
; ksx	611	11,790	

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

*विस्तृत विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट IX में दिया गया है

l drfr: लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग को परियोजनाओं की लागत में वृद्धि को कम करने एवं परियोजनाओं को नियत अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया तंत्र को विकसित करना चाहिए।

1.4.3 फंडिंग, ऋण

वर्ष 2012-17 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल¹⁷ की स्थिति एचकेटी 1.26 में दी गयी है:

एचकेटी 1.26: फंडिंग ऋण

फंडिंग ऋण म/करोड़ रुपये	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	46,228	52,467	58,606	84,357	96,400
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	62.70	5.23	8.08	42.66	86.34
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.14	0.01	0.01	0.05	0.09
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर ¹⁸ (प्रतिशत)	6.73	6.43	6.40	6.35	6.82
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त ब्याज में अन्तर (प्रतिशत)	6.59	6.42	6.39	6.30	6.73
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त प्रतिफल में अंतर के कारण अनुमानित हानि (₹ करोड़ में)	3,048	3,368	3,745	5,315	6,488

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत पाँच वर्षों की अवधि में सरकार की ऋण लागत तथा क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेशों के प्रतिफल में अन्तर के आधार पर ₹ 21,964 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू.) में निवेश पर प्रतिफल का आगणन नहीं किया जा सका।

यह विशेष रूप से संज्ञान में लेने योग्य है कि निवेश पर कम प्रतिफल के बावजूद वित्त विभाग द्वारा उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को भी इक्विटी, ऋण, सहायता अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजट के माध्यम से लगातार सहायता उपलब्ध कराई जाती रही, जिन्होंने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने लेखों को पूर्ण नहीं किया था, जिनका विस्तृत वर्णन एचकेटी 3.6 में किया गया है।

1.4.4 जेटी; एचकेटी के लिए जारी किया गया, ऋण

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के साथ-साथ सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम भी उपलब्ध करा रही थी। विवरण एचकेटी 1.27 में दिया है:

एचकेटी 1.27: जेटी; एचकेटी के लिए जारी किया गया ऋण

फंडिंग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
₹ करोड़, ऋण के लिए जारी किया गया	10,988	11,572	12,456	14,067	22,459
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	1,003	1,473	1,873	9,118	6,741
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतानित धनराशि	419	589	262	726	259
₹ करोड़, ऋण के लिए जारी किया गया	11,572	12,456	14,067	22,459	28,447*
ऋणों एवं अग्रिमों में निवल वृद्धि	584	884	1,611	8,392	5,988
ब्याज प्राप्तियाँ	26	19	14	26	566
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता ¹⁹	0.22	0.15	0.10	0.12	1.99

¹⁷ सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियाँ एवं बैंक।

¹⁸ ब्याज भुगतान/[(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100।

सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर ²⁰ (प्रतिशत)	6.73	6.43	6.40	6.35	6.82
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों की दर के मध्य अन्तर (प्रतिशत में)	6.51	6.28	6.30	6.23	4.83
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर के कारण हानि (₹ करोड़ में)	65	93	118	568	326

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

(* ₹ 494 करोड़ जो संयुक्त उत्तर प्रदेश की अवधि का था, उत्तराखण्ड को आवंटित किया गया)

विगत पाँच वर्षों की अवधि में सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिये गये उधार पर भुगतानित ब्याज की धनराशि में अन्तर के आधार पर सरकार को ₹ 1,170 करोड़ की अनुमानित हानि हुई।

सरकार द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण वित्त लेखे के फीचर 18 के हिस्से में दिया गया है तथा उन इकाइयों का विवरण, जिनके सापेक्ष ऋण के पुनर्भुगतान अवशेष थे, वित्त लेखे के फीचर 18 के हिस्से में दिया गया है।

टिप्पणी: राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।

1.4.5 ऋणों के निवेश के विवरण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 73 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं का विवरण (वित्त लेखे के फीचर 18 के हिस्से में), जिसमें डेवलपर का चयन किया जा चुका है, उपलब्ध कराया गया, जिनमें ₹ 65,825.72 करोड़ की धनराशि निहित है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रबन्धन के अन्तर्गत अपने वित्तीय उत्तरदायित्वों को सूचित नहीं किया गया।

1.4.6 ऋणों के निवेश के विवरण

वर्ष 2016-17 के दौरान, सरकार के रिजर्व बैंक जमा (आर.बी.डी.) में नौ प्रतिशत की कमी हुई तथा उसके निवेश में 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामतः, सरकार के सामान्य रोकड़ अवशेष में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रोकड़ अवशेष तथा रोकड़ अवशेषों के निवेश का विवरण फीचर 18 में निम्नवत् दिया गया है:

फीचर 18: ऋणों के निवेश के विवरण

विवरण	1 अप्रैल 2016 के अंत में	31 मार्च 2017 के अंत में
₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
कोषागारों में रोकड़	00.00	00.00
रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 1,409.33	(-) 1,280.65
मार्गस्थ प्रेषण	00.00	00.00
कुल	(-) 1,409.33	(-) 1,280.65

¹⁹ ब्याज प्राप्ति [(ऋण एवं अग्रिम का, प्रारम्भिक अवशेष + अन्तिम अवशेष)/2] x 100

²⁰ ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] x 100

²¹ 08.11.2000 के अवशेषों का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के बीच विभाजन, जमा एवं अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 8,757.37 करोड़ को छोड़कर, किया गया।

रोकड़ अवशेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	1,196.44	2,168.23
; kx %v½	(-) 212.89	887.58
¼C½ vU; j ksdM+ vo' k'sk , oa fuos'k		
विभागीय अधिकारियों के पास नकद अर्थात् लोक निर्माण के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी	10.17	10.69
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.44	0.44
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	45.20	45.20
; kx %C½	55.81	56.33
egk; kx %v½\$ %C½	(-) 157.08	943.91

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16 एवं 2016-17)

टिप्पणी: रोकड़ अवशेष ऋणात्मक आंकड़ों में दर्शाये गये हैं।

1.5 ifj l EifRr; k; , oa ns rk; ;

1.5.1 ifj l EifRr; k; , oa ns rk;k ea of) , oa l ?kVu

यद्यपि सरकारी लेखाकरण पद्धति में स्थायी परिसम्पत्तियों, जैसे सरकार के स्वामित्व में भूमि तथा भवन, का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है, तथापि राज्य सरकार के लेखे वित्तीय देयताओं तथा व्यय द्वारा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2016 के सापेक्ष 31 मार्च 2017 को ऐसी सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समतुल्य सार *ifj'k"V 1.7* में दिया गया है। जहाँ दायित्व के अन्तर्गत मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम और लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ आते हैं, सम्पत्तियों के अन्तर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम और रोकड़ अवशेष सम्मिलित है।

1.5.2 vkj f{kr fuf/k; k; ds vUrxr yunsu

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत 21 ऐसी आरक्षित निधियाँ हैं जो विशेष प्रयोजनों हेतु सृजित की गयी हैं। विवरण *ifj'k"V 1.8* में दिया गया है एवं l kj .kh 1.29 में सारांशीकृत किया गया है:

l kj .kh 1.29: o"kl 2016-17 ea vkj f{kr fuf/k; k; dh fLFkfr

(₹ dj kM+ ea)

Ø- l a	ys[kk ' kh"kl	1 vi šy 2016 dks i kj fEHkd vo' k'sk	2016-17 ds nšj ku i kflr; k;	2016-17 ds nšj ku l forj .k	31 ekpl 2017 dks vfUre vo' k'sk
¼v½ C; kt l fgr vkj f{kr fuf/k; k;					
1	8115-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	00 Ms 44.42	00	00	00 Ms 44.42
2	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	Ms 0.06 0.06	00	00	Ms 0.06 0.06
; kx %v½		00 Ms 44.42	00	00	00 Ms 44.42
¼C½ C; kt jfgr vkj f{kr fuf/k; k;					
1	8222- निक्षेप निधि	43,032.65	10,772.35	4,145.61	49,659.39
2	8223- अकाल राहत निधि	00 Ms 0.78	00	00	00 Ms 0.78
3	8225- सड़कें एवं सेतु निधि	(-)321.46	4,400.00	4,400.00	(-)321.46

4	8226- मूल्यहास/ नवीकरण आरक्षित निधि	(-7.99	00	00	(-7.99
5	8229- विकास एवं कल्याण निधि	676.07	2,500.00	2,287.76	888.31
6	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	411.06	2333.45	1947.41	797.10
		43,790.33	20,005.80	12,780.78	51,015.35
		Ms 45.20			Ms 45.20

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2016-17)

वर्ष 2014-17 की अवधि में 21 आरक्षित निधियों में से (अन्तिम अवशेष ₹ 51,015.35 करोड़ के साथ) 18 संचालित थीं तथा तीन आरक्षित निधियाँ²² असंचालित थीं। यद्यपि यह देखा गया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 18 संचालित निधियों के इस अत्यधिक अवशेष का कोई निवेश नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि शेष तीन असंचालित आरक्षित निधियों में ₹ 45.20 करोड़ की धनराशि मुख्य शीर्ष 8115—मूल्यहास आरक्षित निधि (₹ 44.42 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8223—अकाल राहत निधि (₹ 0.78 करोड़) का निवेश दशकों पूर्व किया गया था, लेकिन खाते में कोई ब्याज क्रेडिट नहीं हुआ।

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत हस्तान्तरण तथा उससे वितरण समेकित निधि के उपयुक्त राजस्व एवं व्यय शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट एवं क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से प्रभावित होती हैं। ये केवल वास्तविक नकद हस्तान्तरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि ये रिजर्व बैंक जमा (आर.बी.डी) को सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हों। चूँकि इसमें वास्तविक नकद बहिर्प्रवाह नहीं था, उ.प्र. सरकार द्वारा आरक्षित निधियों के सापेक्ष प्रदर्शित लेन देन केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ ही थीं जो आरक्षित निधियों के सृजन एवं संचालन के मूलभूत विचारधारा का उल्लंघन करती हैं। इसका प्रभाव केवल सम्बन्धित वर्षों के लिये अनुचित रूप से राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे की अनुकूल स्थिति दर्शाता है।

तथापि, इन निधियों में कई वर्षों से पड़े हुए बकाया अवशेष राज्य की बड़ी देनदारी को दर्शाते हैं। विशिष्ट आरक्षित निधियों के सापेक्ष ऋणात्मक तथा डेबिट अवशेषों को समेकित निधि से विनियोग द्वारा विनियमितीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

वित्त विभाग को आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेनदेन एवं अवशेषों का रख-रखाव पुस्तक प्रविष्टियों के माध्यम से किये जाने की समीक्षा करनी चाहिये तथा नकद लेखांकन के सिद्धांतों का पालन रिजर्व बैंक के साथ अवशेषों के वास्तविक निवेश के माध्यम से करना चाहिए।

1.5.2.1 fu{ki fuf/k

l efdR fu{ki fuf/k dk l`tu

बारहवें वित्त आयोग ने बकाया देनदारियों²³ के परिशोधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा समेकित निक्षेप निधि (स. नि. नि.) के सृजन की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो निधि को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी है, के दिशानिर्देशों के अनुसार, विगत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया देनदारियों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित है। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में ₹ 1,836.26 करोड़ (₹ 3,67,251.80 करोड़, अर्थात् 31 मार्च 2016 को बकाया देनदारियों, का 0.5 प्रतिशत) का योगदान किये जाने की आवश्यकता थी।

²² 8115-105 मूल्यहास आरक्षित निधि—निवेश लेखा, 8121-111 आकस्मिकता आरक्षित निधि—विद्युत, 8223-102 अकाल राहत निधि—निवेश लेखा।

²³ राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे दायित्व के रूप में परिभाषित।

तथापि, राज्य सरकार ने इन दिशानिर्देशों²⁴ के संदर्भ में स. नि. नि. (मौजूदा निधि को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

orëku fu{ki fuf/k dk l pkyu

वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने ऋण में कमी या परिहार (मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत) के लिए ₹ 10,772.35 करोड़ का प्रावधान किया और पुस्तकीय हस्तान्तरण के द्वारा लोक लेखे के अन्तर्गत निक्षेप निधि (मुख्य शीर्ष 8222) को विनियोग किया। इस निधि में से, बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के समतुल्य ₹ 4,145.61 करोड़ की राशि को समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0075—विविध सामान्य सेवाओं) के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया गया। ₹ 6,626.74 करोड़ के उपरोक्त निवल प्रभाव के परिणामस्वरूप राज्य की बकाया देनदारियों में उतनी ही राशि के समान वृद्धि हुई अर्थात् बकाया देनदारियां ₹ 4,08,422 करोड़ के स्थान पर ₹ 4,15,049 करोड़ (उदय को छोड़कर) थी जैसा कि l kj .kh 1.32 में दर्शाया गया है।

अन्य राज्य सरकारों द्वारा, जिन्होंने बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये स. नि. नि. का सृजन किया है, के विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार के निक्षेप निधि के लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं और रोकड़ के वास्तविक लेनदेन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह निक्षेप निधियों के गठन की अन्तर्निहित भावना के प्रतिकूल है।

l ðrfr% राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये आरबीआई द्वारा निवेश किए जाने वाले समेकित निक्षेप निधि का गठन किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की शेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तक प्रविष्टि न हो।

1.5.2.2 jkT; l Md ,oa l rpkai j 0; ;

वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने सड़क और सेतुओं पर क्रमशः राजस्व और पूंजीगत व्यय से सम्बन्धित ₹ 2,500 करोड़ एवं ₹ 1,900 करोड़ का प्रावधान मुख्य शीर्ष 3054 एवं मुख्य शीर्ष 5054 के अन्तर्गत किया और इन राशियों को आरक्षित निधि मुख्य शीर्ष 8225—सड़क एवं सेतु निधि में स्थानान्तरित कर दिया। वर्ष के दौरान समान राशि (अर्थात् क्रमशः ₹ 2,500 करोड़ और ₹ 1,900 करोड़) सड़क और सेतुओं पर व्यय के रूप में दिखाए गए और क्रमशः मुख्य शीर्ष 3054 और 5054 के अन्तर्गत कटौती प्रविष्टियों के रूप में दर्शाए गए थे। यदि वर्ष के दौरान स्थानान्तरण का शुद्ध प्रभाव शून्य है तो आरक्षित निधि के सृजन का उद्देश्य निरर्थक है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि:

- राज्य सरकार कई वर्षों से मुख्य शीर्ष 3054/5054 और मुख्य शीर्ष 8225—सड़क एवं सेतु निधि के बीच ऐसे एकरूप स्थानान्तरण और विपरीत स्थानान्तरण कर रही है।
- अग्रेतर, 31 मार्च 2017 को निधि में (–) ₹ 321.46 करोड़ का ऋणात्मक आदिशेष था, जो उपलब्ध अवशेष से अधिक भुगतान का संकेत देता है। यह ऋणात्मक आंकड़ा वर्ष 2014-15 के लेखे से प्रदर्शित हो रहा है। ऋणात्मक शेष राशि को समेकित निधि से विनियोग द्वारा नियमित किया जाना है।

²⁴ जैसा कि इन राज्यों ने दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की है—आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा तथा जम्मू—कश्मीर।

l drrfr % वित्त विभाग द्वारा मुख्य शीर्ष 8225-सड़क और सेतु निधि के अन्तर्गत सड़क और सेतुओं पर आरक्षित निधि को बनाए रखने की आवश्यकता की जांच की जानी चाहिए और अविलम्ब ऋणात्मक शेष (-) ₹ 321.46 करोड़ को नियमित भी करना चाहिए।

1.5.2.3 jkT; vki nk vufØ; k fuf/k (jk ÷k ÷ fu)

jk ÷k ÷ fu +dk C; kt okys vkj f{kr fuf/k ea ysl[kkadu u fd; k tkuk

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा 1 अप्रैल 2010 से भूतपूर्व आपदा राहत निधि को राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि.) से प्रतिस्थापित किया गया। रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देश में निम्नलिखित निर्धारित है:

- निधि को मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों के अधीन "ब्याज सहित आरक्षित निधि" की श्रेणी के अन्तर्गत संचालित किया जाना चाहिए।
- आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्थोपाय अग्रिम पर लागू ब्याज के औसत पर राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

यह पाया गया कि उ.प्र. सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों के अधीन "ब्याज रहित आरक्षित निधि" की श्रेणी के अन्तर्गत ही संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निधि के अवशेषों का निवेश भी नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, निधि के अवशेष मात्र पुस्तकीय प्रविष्टियां हैं एवं वास्तविक नकद शेषों को प्रदर्शित नहीं करती। अग्रेतर, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये ब्याज ₹ 19.08 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम के औसत ब्याज दर 7.5 प्रतिशत के आधार पर) का भुगतान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के राजस्व व्यय में ₹ 19.08 करोड़ की न्यूनता रही। रा.आ.अ.नि. के संचालन से अदेय ब्याज राज्य की अलेखांकित देनदारियों को प्रदर्शित करती है।

राज्य सरकार ने बताया (जून, 2017) कि वर्ष के अन्त में निधि में एक नगण्य राशि अवशेष रहती है जिससे निधि को "ब्याज सहित आरक्षित निधि" के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है एवं ब्याज भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तर प्रासंगिक नहीं है। निधि को "ब्याज रहित आरक्षित निधि" में श्रेणीबद्ध किये जाने एवं निधि में अवशेष राशि का निवेश न करने या उस पर ब्याज का भुगतान न करने से, अवशेष निधि अनिवार्य रूप से मात्र पुस्तकीय प्रविष्टियां हैं जो निधि के दिशानिर्देशों की मूल भावना एवं शासकीय लेखे, जो रोकड़ आधारित लेखांकन के सिद्धान्त का पालन करता है, के प्रतिकूल है।

l drrfr% राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की शेष राशि को मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि "ब्याज सहित आरक्षित निधि" की श्रेणी में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं अर्थोपाय अग्रिम पर आर.बी.आई. द्वारा लागू ब्याज की दर के औसत के आधार पर अर्जित ब्याज निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देश में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।

1.5.3 vkdfLed ns rk, &i R; kHkfr; ka dh fLFkfr

i R; kHkfr foekpu fuf/k

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया गया अथवा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति की सीमा का निर्धारण करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वार्षिक अंशदान ₹ 298.27 करोड़ (वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में

बकाया प्रत्याभूति ₹ 59,653.72 करोड़ के 0.5 प्रतिशत की दर से) किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।

वित्त लेखे के 2017 के अनुसार, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया का विवरण 1.30 में दिया गया है:

1.30: सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

2017	2016-17	2015-16	2014-15
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	78,023	78,826	66,702 ²⁵
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1,93,422	2,27,076	2,56,875
वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों की राशि (ब्याज सहित)	70,740	57,618	55,825
कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	40.34	34.71	25.97

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूतियों की अधिकतम धनराशि के संघटक थे: उर्जा क्षेत्र की तीन संस्थाएँ²⁶ (₹ 59,434 करोड़), एक सहकारी बैंक²⁷ (₹ 4,000 करोड़), अन्य क्षेत्रों की 11 संस्थाएँ²⁸ (₹ 2,058 करोड़) एवं उ.प्र. राज्य वित्तीय निगम (₹ 1,210 करोड़)।

1.31: प्रत्याभूति

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्याभूति के खतरों की गंभीरता के पूर्वानुमान के आधार पर प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना की जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 संस्थानों को प्रतिभूतियाँ दीं, जिनमें से केवल दो संस्थानों को प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान करना था एवं शेष 14 संस्थानों²⁹ को इससे छूट प्राप्त थी। यह पाया गया कि दोनों संस्थानों ने देय ₹ 0.92 करोड़ (राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड - ₹ 82 लाख एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड - ₹ 9.51 लाख) की प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया। ऐसा पाया गया कि सरकार द्वारा दोनों संस्थानों को वर्ष 2016-17 में इक्विटी एवं सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी, जबकि दोनों कम्पनियों के लेखे वर्ष 2015-16 से बकाया थे।

राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि ₹ 15,690 करोड़ के सापेक्ष बकाया प्रत्याभूत धनराशि (₹ 19,252 करोड़) ₹ 3,562 करोड़ अधिक थी। यह उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसके अनुसार अधिकतम प्रत्याभूत धनराशि से अधिक की प्रत्याभूति नहीं दी जा सकती।

²⁵ वर्ष के दौरान ₹ 36,282 करोड़ की प्रत्याभूति उन्मोचन के कारण कमी हुई, जो सम्बन्धित थे— उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड (₹ 33,726 करोड़), उ.प्र. विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 270 करोड़), उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 71 करोड़), उ.प्र. सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड (₹ 627 करोड़), उ.प्र. सहकारिता चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ (₹ 1,584 करोड़) एवं सहकारिता कताई मिल फेडरेशन (₹ चार करोड़)।

²⁶ उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड, उ.प्र. विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

²⁷ उ.प्र. सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड।

²⁸ उ.प्र. सहकारिता चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ, उ.प्र. प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड, उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उ.प्र. राज्य हार्टिको आई टी आर कम्पनी लिमिटेड बरेली, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर, सहकारी कताई मिल निगम, उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम कानपुर, उ.प्र. (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड मुजफ्फरनगर, उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।

²⁹ उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड, उ.प्र. सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड, उ.प्र. सहकारिता चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ, उ.प्र. प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड, उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उ.प्र. राज्य हार्टिको आई टी आर कम्पनी लिमिटेड बरेली, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर, सहकारी कताई मिल निगम, उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम कानपुर, उ.प्र. (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड, उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड मुजफ्फरनगर, उ.प्र. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उ.प्र. राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड।

l drrf: बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन एवं संचालन करना चाहिये एवं यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि किसी भी संस्था को निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक की प्रत्याभूति नहीं दी जाये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क तत्परता से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। शासन द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहायता रोक दी जानी चाहिये जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है एवं/अथवा जिनके लेखे बकाया हैं।

1.6 .k iZU/ku

1.6.1 fy; s x; s m/kkj dh fuoy mi yC/krk

l kj.kh 1.31 में वर्ष 2012-17 के दौरान उधार लिये गये निधियों की निवल उपलब्धता का विवरण दिया गया है:

l kj.kh 1.31% fy; s x; s m/kkj dh fuoy mi yC/krk

₹ dj kM+eK

fooj.k	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	44,039	55,057	71,455	1,13,502	1,13,172
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	44,502	50,316	64,103	75,557	84,034
उपलब्ध निवल निधियाँ	(-)463	4,741	7,352	37,945	29,138
उपलब्ध निवल निधियों से लोक ऋणों की प्रतिशतता	(-)1.05	8.61	10.29	33.43	25.75

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6.2 .k l oguh; rk

ऋण संवहनीयता राज्य द्वारा भविष्य में इसके ऋणों के उन्मोचन की क्षमता का सूचक है। वर्ष 2012-13 से पाँच वर्षों की अवधि के लिये ऋण संवहनीयता सूचकांक l kj.kh 1.32 में दर्शाया गया है:

l kj.kh 1.32% .k l oguh; rk&l drrd vkj cõfUk; k;

₹ dj kM+eK

.k l oguh; rk ds l drrd	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता	(-)463	4,741	7,352	38,011	29,138
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्तियों का अनुपात)	12	10	10	9	10
राजस्व प्राप्तियाँ	1,45,904	1,68,214	1,93,422	2,27,076	2,56,875
उदय को छोड़कर बकाया ऋण	2,59,621	2,81,709	3,07,859	3,42,920	4,08,422
उदय को छोड़कर बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7	9	9	11	19
उदय को छोड़कर बकाया ऋण (राजकोषीय देयतायें)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	32	30	30	31	32
ब्याज भुगतान	16,921	17,412	18,865	21,448	26,936
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7	6	6	6	6

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6.3 एडवोकेट के लिए एडवोकेट

एडवोकेट 1.33 में राज्य के एडवोकेटों की परिपक्वता प्रोफाइल³⁰ का विवरण दिया गया है:

एडवोकेट 1.33% जेटी; एडवोकेट के लिए एडवोकेट

₹ दशक के लिए

एडवोकेट के लिए एडवोकेट	एडवोकेट के लिए एडवोकेट	एडवोकेट के लिए एडवोकेट	जेटी	एडवोकेट के लिए एडवोकेट
0-1 वर्ष	10,501	1,430	11,931	3.97
1-3 वर्ष	65,423	4,477	69,900	23.27
3-5 वर्ष	45,946	3,041	48,987	16.31
5-7 वर्ष	44,698	1,962	46,660	15.53
7 वर्ष और अधिक	1,20,393	2,543	1,22,936	40.92
जेटी	2,86,961	13,453	3,00,414	100

1.6.4 एडवोकेट के लिए एडवोकेट

उदय भारत के विद्युत वितरण कंपनियों हेतु वित्तीय बदलाव एवं पुनरुद्धार पैकेज है। इसका लक्ष्य उचित दर पर पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु डिस्कॉम्स को वित्तीय एवं परिचालन के स्तर पर व्यवहार्य बनाना है। योजना के अन्तर्गत, राज्य द्वारा 30 सितम्बर 2015 तक के डिस्कॉम्स ऋण का 75 प्रतिशत (50 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2015-16 में एवं 25 प्रतिशत वर्ष 2016-17 में) वहन किया जाना है, ऋण वहन करने हेतु गैर एस.एल.आर. बाण्ड जारी किया जाना है एवं प्राप्त लाभ को अनुदान, ऋण एवं इक्विटी के रूप में डिस्कॉम्स को स्थानान्तरित किया जाना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, सितम्बर 2015 के अन्त में उ.प्र. डिस्कॉम्स का बकाया ऋण ₹ 59,205 करोड़ था।

राज्य सरकार के साथ भारत सरकार तथा डिस्कॉम्स³¹ के बीच हुये सहमति ज्ञापन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा कुल ₹ 44,403 करोड़ के ऋण (वर्ष 2015-16 में ₹ 29,602 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में ₹ 14,801 करोड़) का वहन किया जाना था।

कुल डिस्कॉम्स ऋण ₹ 44,403 करोड़ वहन करने हेतु बाण्ड जारी किये जाने की आवश्यकता के सापेक्ष राज्य सरकार ने कुल ऋण को वहन करते हुये कुल धनराशि, अर्थात् वर्ष 2015-16 में ₹ 29,602 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में ₹ 14,801 करोड़, का बाण्ड जारी किया।

1.7 एडवोकेट के लिए एडवोकेट

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त पर आधारित प्रतिवेदन पृथक से तैयार किया जा रहा है एवं राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा इस प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।

³⁰ भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाला गया ₹ 10.19 करोड़ के ऋण की धनराशि परिपक्वता प्रोफाइल में सम्मिलित नहीं की गयी है।

³¹ उ.प्र. ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा एवं इसकी सहायक कंपनियों हेतु यथा- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर विद्युत सप्लाई कंपनी लिमिटेड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।